राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3097–एक/14 जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24-4-15	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत् प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 2 राजेन्द्र पुत्र नंदराम जी एवं अन्य के द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार देवास के समक्ष संहिता की धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर बताया कि उनके पिता नंदराम जी कसेरा का स्वर्गवास दिनांक 27.05.1984 को एवं रामविलास पुत्र रणछोड़ लालजी कसेरा का स्वर्गवास दिनांक 13.07.1988 को हो गया है। ऐसी स्थिति में उनके पिता के नाम की भूमि सर्वे क्रमांक 174 रकवा 2.330, सर्वे नं. 175 रकवा 0.080 एवं सर्वे नं. 177 रकवा 0.200 है0 ग्राम नागूखेडी तहसील व जिला देवास में स्थित है। ऐसी स्थिति उनके वारिसान के नाम नामान्तरण स्वीकृत किये जाने की मांग की गयी। अनावेदकगण के उक्त आवेदन पत्र को तहसीलदार देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/अ–6/2013–14 पर पंजीबद्व किया गया। इस पर	

आवेदक की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी, कि इसी भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा व्यवहार न्यायधीश वर्ग–2 देवास के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 42ए/2014 प्रस्तुत किया है। जो वर्तमान समय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के अंतिम निराकरण तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित किया जायें। आवेदक की उक्त आपत्ति पर तहसील न्यायालय द्वारा तर्क सुने जाकर आदेश दिनांक 05.06.2014 को यह आदेश पारित किया। कि नामान्तरण प्रकरण में आपत्तिकर्ता को कोई भी हक नहीं होने से उसकी आपत्ति पत्र दिनांक 28.03.2014 निरस्त की जाती है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपनी लिखित बहस में यह आधार लिया है कि विवादित भूमि उनके स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है। जिसपर उसका निरन्तर कब्जा कास्त करके चला आ रहा है। इस भूमि के संबंध में उनके द्वारा व्यवहार न्यायधीश वर्ग–2 देवास के न्यायालय में स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बावत् दावा क्रमांक 42ए/14 प्रस्तुत किया गया है। जो व्यवहार के समक्ष विचाराधीन है, ओर उसके अंतिम निराकरण तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिये। इस संबंध में 1987 सी.सी.एल.जी नोट नं. 65 उच्च.न्या. न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया। इसके साथ ही साथ राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 409–तीन/2009 निगरानी

उन्मान मुलायम चन्द्र जैन विरूद्व विनोद कुमार आदि के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24.01.2014 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

4— अनावेदकगण अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि भूमि स्वामी की मुत्यु होने के बाद उनके वारिसान द्वारा नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें आवेदक को आपत्ति करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उपरोक्त भूमि पर आवेदक का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। आपत्तिकर्ता मृत स्वर्गीय श्री नन्दराम एवं रामविलास जी का सगा भानेज है, तथा आपत्तिकर्ता का पिता राजेन्द्र प्रसाद कसेरा उनका सगा बहनोई है, तथा मृत स्वर्गीय नन्दराम जी एवं स्वर्गीय रामविलास जी ने भूमि सन् 21.07.81, 17.08.81 एवं 30.09.82 में गेंदालाल पिता काशीराम निवासी नानूखेडी से विधिवत् पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की थी। इसके पश्चात् विधिवत् उनका राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किया गया था। इस प्रकार आवेदक का उपरोक्त भूमि में कोई हितनिहित नहीं है। जहॉ तक व्यवहार न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है। तो वह वर्तमान समय में विचाराधीन है और व्यवहार न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में निराकरण तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित नहीं रखा जा सकता है। इस संबंध में तहसीलदार देवास द्वारा विधिवत् आदेश पारित किया है। जो स्थिर रखे जाने योग्य है। अंत में उन्होने आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5— उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। यह प्रकरण नामान्तरण का है, अनावेदक द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कियां है। जिसमें वारिसाना आधार पर नामान्तरण की मांग की गयी है। इसके संबंध में आवेदक/आपत्तिकर्ता द्वारा एक लिखित आपत्ति इस आधार पर प्रस्तुत की है। कि विगत 26—27 वर्ष पूर्व नन्दराम जी व रामविलास जी ने उक्त भूमि उसे दी थी। क्योंकि वह रिश्ते में उनका भानजा लगता है, ओर वह वर्तमान में भूमि स्वामी के नाते खेती कर रहा है। अनावेदकगण के पिताओ की मुत्यु 25 वर्ष पूर्व हो गयी थी, ऐसी स्थिति में अधिक समय पश्चात् नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जो स्पष्टतः अवधि वाह्य है, क्योंकि नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि 6 माह निर्धारित की गयी है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा 2006 आर.एन. 135, 2005 आर.एन. 246 में स्पष्ट किया है। इसी विवादित भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 देवास के समक्ष दावा क्रमांक 42ए/14 स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। जिसमें अनावेदकगण द्वारा भी काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया है। जो वर्तमान समय में विचाराधीन है, व्यवहार न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के अंतिम निराकरण तक राजस्व न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये। क्योंकि स्वत्व का अंतिम निराकरण व्यवहार न्यायालयों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में अजय कुमार विरूद्व राजस्व मण्डल (1987 सी.सी.एल.जे नोट नं. 65) में यह

व्यवस्था दी गयी है। कि विवादास्पद भूमि के स्वत्वाधिकार कि घोषणा के लिये सिविल वाद् विचाराधीन उचित प्रक्रिया यह है कि राजस्व न्यायालय की कार्यवाही सिविल वाद् के निराकरण तक स्थगित रखी जायें। विद्यावती विरूद्व मीराबाई (प्रकरण क्रमांक 571–एक/2014) पारित आदेश दिनांक 18.10.2006 में व्यवस्था दी गयी है। कि राजस्व न्यायालय को व्यवहार न्यायालय के प्रकरण के निराकरण की प्रतिक्षा करना चाहिये। इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक 409–तीन/2009 पारित आदेश दिनांक 24.01.2014 में व्यवस्था दी गयी है। कि व्यवहार न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल प्रकरण के निराकरण तक नामान्तरण प्रकरण की कार्यवाही स्थगित रखें। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है, एवं तहसीलदार देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 अपास्त किया जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है। कि वे व्यवहार न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के अंतिम निराकरण तक नामान्तरण प्रकरण की कार्यवाही स्थगित रखें।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला--देवास R. 3097-I/14

Rec. 11-9-14 ... प्रस्तुत 11-9-14

सत्यनारायण कसेरा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद कसेरा, निवासी नागूखेड़ी, तहसील व जिला देवास (म.प्र.) ...... आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती नारायणीबाई पति स्व. नंदराम,
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. नंदराम
3. मोहनलाल पुत्र स्व. नंदराम
4. शिवप्रकाश पुत्र स्व. नंदराम
5. संजय पुत्र स्व. नंदराम
6. राजेश पुत्र स्व. नंदराम
7. शीतल पुत्र स्व. नंदराम

   निवासीगण 16/17 कसेरा बाजार, रतलाम (म.प्र.)

8. श्रीमती शकुन्तलादेवी पति स्व. पवन कसेरा, निवासी कसेरा बाजार, मनीष बर्तन, शाजापुर (म.प्र.)
9. श्रीमती सुनीता पति रमेशचन्द्र कसेरा निवासी एम.जी.रोड मल्हारगंज, चाचा चौक, इन्दौर (म.प्र.)
10. श्रीमती धापूबाई पति स्व. रामविलास
11. सत्यनारायण पुत्र रामविलास,
12. विजय पुत्र रामविलास,
13. गोपाल पुत्र रामविलास,

    निवासीगण 52, केसरा बाजार, रतलाम (म.प्र.)

14. श्रीमती कुसुम पति जगदीश कसेरा, निवासी सदर बाजार, गुना (म.प्र.)
15. श्रीमती मंजूदेवी पति दिनेश कसेरा, निवासी जनता कॉलोनी बड़ा गणपति त्रिपाठी स्कूल के पीछे, इन्दौर (म.प्र.)
16. श्रीमती अनीता पति राजेन्द्र कसेरा, निवासी जिन्सी हाट मैदान, इन्दौर
17. ज्सवंतसिंह पुत्र श्री बापूसिंह, निवासी ग्राम राजौदा, तहसील व जिला देवास (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

K.K. Dwivedi Adv. Gwalior 11/9/14

12.9.14